



1. योजना I. इस योजना का नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण की "दि.वि.प्रा. आवासीय योजना-2006" है। II. योजना दिनांक 22-08-2006 से 12-10-2006 तक खुली रहेगी। III. योजना के अन्तर्गत दिए गए फ्लैट्स का विवरण संलग्नक 'ए' में दिया गया है। फ्लैट्स "जहां है जैसा है" के आधार पर दिए जाएंगे। सभी फ्लैट्स पूर्ण एवं कब्जे हेतु तैयार स्थिति में हैं।	1. SCHEME I. The scheme is called "DDA Housing Scheme, 2006, of the Delhi Development Authority". II. The scheme shall remain open from 22.8.2006 to 12.10.2006 . III. Detail of flats under this scheme is given in annexure 'A'. Flats are given on "As is where is Basis". All the flats are already constructed and are ready for occupation.
2. पात्रता I. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। II. उसे वयस्क होना चाहिए। इसके लिए आवेदन भरने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। III. आवेदक के पास दिल्ली/नई दिल्ली/दिल्ली छावनी क्षेत्र में पट्टा धारिता आधार पर, फ्री होल्ड आधार पर, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपने नाम में या पत्नी/पति के नाम में या अपने अवयस्क अथवा आश्रित बच्चों के नाम पर कोई मकान या प्लॉट नहीं होना चाहिए। तथापि, यदि आवासीय मकान/फ्लैट के अन्तर्गत संयुक्त स्वामित्व वाले प्लॉट या भूमि में आवेदक का व्यक्तिगत हिस्सा 66.9 वर्ग मीटर (80 वर्ग गज) से कम है, तो वह इस योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकता/सकती है। IV. एक परिवार का कोई एक व्यक्ति आवेदन जमा कर सकता है। परिवार का अर्थ है जीवन साथी (यदि कोई हो), आश्रित/अवयस्क बच्चे, यदि कोई हो। V. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। VI. ऐसा व्यक्ति, जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी अन्य भू-स्वामी विभाग द्वारा निर्मित मकान/प्लॉट आवंटित किया जा चुका है चाहे वह 66.9 वर्ग मीटर (80 गज) से कम हो, वह इस योजना के अन्तर्गत अन्य फ्लैट के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा। VII. कोई आय-सीमा नहीं है। आवेदक अपनी आवश्यकता और वहन-क्षमता के अनुसार आवेदन कर सकता है। VIII. आवेदक का किसी अनुसूचित बैंक में आवेदन की तिथि पर खाता होना चाहिए और आवेदन का विवरण भरा होना चाहिए। IX. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (पर्मनेंट एकाउंट नंबर) (पैन) होना चाहिए और आवेदन पत्र में इसको भरा जाए।	2. ELIGIBILITY I. The applicant must be a citizen of India. II. He/She should have attained the age of majority. For this an applicant should have completed 18 years of age as on the date of filling of the application for a flat. III. The applicant must not own any residential flat or plot in full or in part on lease hold or free hold basis in Delhi / New Delhi/ Delhi Cantonment either in his / her own name or in the name of his/her wife / husband or in the name of his / her minor or dependent children. If however, individual share of the applicant in the jointly owned plot or land under the residential house/flat is less than 66.9 sq. mtrs. (80 sq. yds.) he/she can apply under this scheme. IV. Only one person in a family can submit application. Family means spouse (if any), dependent/minor children, if any. V. One person can submit one application only. VI. A person who has already been allotted a plot or house/flat constructed by the DDA or any other land owning department even if it is less than 66.9 sq. mtrs. (80 sq. yds.) shall not be eligible to apply for another flat under this scheme. VII. There is no income limit. The applicant can apply according to his/her requirement and affordability. VIII. The applicant must have an account in any bank and the particulars must be filled in the application form. IX. Applicant must have Permanent Account Number allotted under the provisions of Income Tax Act and the same must be quoted on the application form.
3. आरक्षण इस योजना के अन्तर्गत आरक्षण का विवरण नीचे दिया गया है। I. 17.5 % फ्लैट अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे II. 7.5 % फ्लैट अनुसूचित जन-जाति के आवेदकों के लिए आरक्षित होंगे। यदि अनुसूचित जनजाति के आवेदकों से पर्याप्त संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं होते हैं, तो शेष फ्लैटों का निपटान अनुसूचित जाति श्रेणी के आवेदकों के पक्ष में कर दिया जाएगा और ऐसी ही व्यवस्था ठीक इसके विपरीत भी की जाएगी। III. 1 % फ्लैट युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं के लिए आरक्षित होंगे। IV. 1 % शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे, और V. 1 % फ्लैट भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होंगे। टिप्पणी : क) यदि किसी भी श्रेणी में फ्लैटों की संख्या अंश में अर्थात 0.5 से कम आती है तो पूर्णांक में बदलकर शून्य और यदि 0.5 से अधिक आती है तो पूर्णांक में बदलकर एक कर दिया जाएगा।	3. RESERVATIONS The details of reservations under this scheme are as given below :- I. 17.5 % of the flats for persons belonging to Scheduled Castes. II. 7.5% for applicants belonging to Scheduled Tribes. If adequate number of applications are not received from applicants belonging to ST category, remaining flats shall be disposed of in favour of applicants belonging to SC category and vice-versa. III. 1% for war widows. IV. 1% for physically handicapped persons; and V. 1% for ex-serviceman. Notes: a. In case no. of flats in respective category comes to fraction i.e. less than 0.5 it would be rounded off to zero and if it is 0.5 or more it would be rounded off to one. b. In case of application preferred in joint name under SC or ST reserved



ख)	यदि आवेदन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत संयुक्त नाम पर दिया गया है तो संयुक्त आवेदन उसी श्रेणी में या रक्त संबंध में या परिवार में होना चाहिए जैसा पैरा 2.IV में बताया गया है।		
ग)	यदि आवेदन युद्ध में शहीद की विधवाओं, शारीरिक विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों की आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत संयुक्त नामों पर दिया गया है तो आवेदक पैरा 2.IV में बताए अनुसार परिवार के अंदर से या रक्त संबंधी होना चाहिए।		
घ)	यदि उक्त उल्लिखित पांच श्रेणियों से पर्याप्त संख्या में आवेदन—पत्र प्राप्त नहीं होते, तो बचे हुए सभी फ्लैटों का प्रस्ताव गैर—आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए किया जाएगा।		
4.	आवेदन कैसे करें		
I.	इस योजना के अन्तर्गत एक फ्लैट के लिए आवेदन कर रहे आवेदक को रु. 1,50,000/- की पंजीकरण राशि "दि.वि.प्रा." के पक्ष में दिल्ली / नई दिल्ली में देय किसी बैंक के बैंकर्स चैक / डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करनी होगी। डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र का उपयोग करने वाले आवेदकों को 1,50,000/- के साथ 150/- रु. का एक अलग ड्राफ्ट / बैंकर चैक जमा करना होगा। बैंकर्स चैक / डिमांड ड्राफ्ट पूर्ण रूप से भरे हुए निर्धारित प्रपत्र पर संलग्नक (ब) में दर्शायी निर्धारित बैंक शाखाओं में से एक शाखा में योजना समाप्ति तक सभी कार्य दिवसों में जमा किया जाना है। विधिवत भरे हुए आवेदन—पत्र संलग्नक (ब) में दर्शाए गए बैंक शाखाओं के प्रबन्धकों के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा, योजना समाप्ति के 15 दिन पूर्व भेजे जा सकते हैं लिफाफे के ऊपर स्पष्टतया "दि.वि.प्रा. की आवास योजना—2006" के अन्तर्गत आवेदन, लिखा होना चाहिए। बैंक द्वारा भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।		
II.	आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी / अपने इच्छानुसार अपनी प्राथमिकता लिखने के लिए संलग्नक 'अ' में दिये हुए कोड को भरें एवं शेष बॉक्स में (x) का निशान लगाएं। यह मान लिया जाएगा कि प्राथमिकता देने से पहले आवेदक ने स्थल को देख लिया है। यदि कोई बॉक्स खाली रहता है अथवा क्षेत्र हेतु प्राथमिकता नहीं दर्शायी जाती तो आवेदन—पत्र अपूर्ण माना जाएगा एवं निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदक द्वारा सेक्टर / पॉकेट / तल को बदलने के लिए किसी आवेदन पर दि.वि.प्रा. द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।		
III.	आवेदन—पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत फ्लैट लेना चाहता है। किसी भी आवेदक को आवेदन—पत्र में किसी विवरण को काटना, मिटाना या उसके उपर दोबारा नहीं लिखना चाहिए। यदि कोई आवेदक परिवर्तन करना चाहता है तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वह नया आवेदन—पत्र प्राप्त करके उसे भरें।		
IV.	किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन—पत्र आवेदक को बिना कोई कारण बताए सीधे ही रद्द कर दिए जाएंगे।		
V.	दि.वि.प्रा. की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्ति को भी इस योजना की पूरी पंजीकृत राशि का भुगतान करना होगा। इस योजना के अन्तर्गत ड्रा निकल जाने पर आवेदक को पूर्व योजना की पंजीकरण राशि वापसी हेतु अलग से लिखित प्रार्थना पत्र देना होगा।		
5.	जमा किए जाने वाले दस्तावेज		
I.	आवेदन पत्र के साथ		
क)	सभी श्रेणियों के लिए : (i) आयकर विभाग द्वारा आबंटित पैन (स्थायी खाता संख्या) की स्व—सत्यापित प्रति।		
		category, the joint applicant should also belong to the same category or should be in the blood relation or should be within the family as defined in Para 2.IV.	
		c. In case of application preferred in joint names under War Widows, Physically Handicapped, Ex-serviceman reserved category, the joint applicants should be from within the family as defined in Para 2.IV or should be in the blood relation.	
		d. If requisite number of applications are not received from the above mentioned five categories, all remaining flats shall be offered to the persons of non-reserved categories.	
		4. HOW TO APPLY	
		I. The applicant applying for a flat under this scheme shall have to deposit the registration money of Rs 1,50,000/- by a Banker's Cheque/Demand Draft of any bank drawn in favour of "DDA Housing" payable at Delhi/New Delhi. Applicants using downloaded form need to deposit separate draft / banker cheque of Rs.150/- in addition to Rs. 1,50,000/-. This Banker's Cheque/ Demand Draft has to be presented along with the application form completed in all respects on the prescribed form at one of the prescribed bank branches as mentioned in annexure B, on all working days during the currency of the scheme. Duly filled up application can also be sent by registered post addressed to the Branch Managers of nodal bank branches as mentioned in annexure B to reach not later than 15 days before the last date of closure of the scheme. The envelope should be clearly marked "Application under DDA Housing Scheme 2006". Payment by cheque will not be accepted.	
		II. The applicant may give one or more preferences of his/her choice by writing locality codes, given in Annexure 'A', in appropriate box and put a cross (x) against the preferences not exercised. It is presumed that applicant has seen the locality before giving preference. If any box is left blank or preferences are not given in prescribed locality codes, form would be considered incomplete and would be rejected. No preference for sector/ pocket/ floor can be exercised by the applicant and no request for change of sector, pocket, floor shall be entertained by the DDA.	
		III. The application form should be signed only by the applicant himself, who wants to get a flat under this Scheme. No applicant should make any cutting, erasing or overwriting in the application. In case a person desires to make changes, it is advised to obtain and fill up a fresh application.	
		IV. No conditional application form will be considered. Incomplete application forms shall be rejected summarily without conveying any reason to the applicant.	
		V. Persons holding a registration with DDA under any of its other schemes, can also apply under this scheme. They, however, have to make payment of Registration Amount of the scheme in full. They should separately make a written request for withdrawal of Registration Deposit of the earlier scheme once they are successful in this scheme.	
		5. DOCUMENTS TO BE SUBMITTED:	
		I ALONG WITH APPLICATION FORM	
		(A) FOR ALL CATEGORIES:	
		(i) Self attested Copy of PAN (Permanent Account Number), allotted by Income Tax Department.	

(ii) आवास का प्रमाण, उदाहरण के लिए पासपोर्ट या पहचान पत्र या चुनाव पहचान पत्र या राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या टेलीफोन बिल या बिजली के बिल या पानी का बिल या आवास कर रसीद या बैंक की खाता पुस्तिका (नाम और पते वाले पृष्ठ सहित) या सीजीएचएस कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति ।		(ii) Proof of residence e.g. self attested copy of passport or identity card or election card or ration card or driving license or telephone bill or electricity bill or water bill or house tax receipt or bank pass book (page carrying name and address) or CGHS card.
ख) आरक्षित श्रेणी के लिए उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त, किसी भी आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने वाले आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:		(B) FOR RESERVED CATEGORY In addition to (A) above, persons applying under any of the reserved categories have to submit:-
I. यदि आवेदक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की आरक्षित श्रेणियों से सम्बन्ध रखता है, तो उसे संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट / सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट से प्राप्त मूल प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।		(i) An attested copy of the original certificate from the District Magistrate/Sub Divisional Magistrate of the area concerned in case the applicant belongs to the Reserved Category of SC/ST.
II. यदि आवेदक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करता है, तो उसे सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।		(ii) An attested copy of the original certificate issued by the Medical Board of a Govt. Hospital in case the applicant is applying under the reserved category of physically handicapped persons.
III. भूतपूर्व सैनिक के मामले में रक्षा मंत्रालय / रक्षा विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी से प्राप्त सेवा मुक्ति प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।		(iii) An attested copy of Discharge Certificate from the competent authority of Ministry of Defence / Dept. of Defence in case of Ex-serviceman.
IV. यदि आवेदक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आता है, तो उसे रक्षा मंत्रालय / रक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए “अपेक्षित प्रमाण-पत्र” की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।		(iv) An attested copy of “Requisite Certificate” issued by the Ministry of Defence/Dept. of Defence, in case applicant comes under Reserved Category of war-widow.
V. यदि आवेदक अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता, तो उसके मामले पर आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा और उसके मामले को सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत माना जाएगा ।		(v) An applicant not submitting the requisite documents will not be considered for allotment under the Reserved Category and will be treated under the General Category.
II. प्लैट का कब्जा प्राप्त करने के लिए		II. FOR POSSESSION OF FLAT
क) आवंटन राशि जमा करने का भुगतान प्रमाण ।		a. Payment proof of Allotment money deposited.
ख) स्टाम्प कलेक्टर के कार्यालय से विधिवत स्टाम्प लगाया गया कन्वीएस डीड / कन्वीएस डीड का खाली फॉर्म आवंटियों को मौग पत्र के साथ भेजा जाएगा ।		b. Conveyance deeds duly stamped from the office of collector of stamps. Blank Conveyance deeds would be sent to allottees alongwith the demand letter.
ग) अनुलग्नक-सी,डी और ई में दिए गए अनुसार शपथ पत्र ।		c. Affidavit as per proforma given in Annexure-C, D & E.
घ) अनुलग्नक एफ और जी में दिए गए अनुसार वचन पत्र ।		d. Undertakings as per proforma given in Annexure-F & G.
ङ) अनुलग्नक-एच में दिए गए कब्जे के पत्र की विधिवत भरी गई चार प्रतियाँ ।		e. Duly filled possession letter in quadruplicate given in Annexure-H.
च) स्वयं की तथा पत्नी, यदि कोई हो, की फोटो और तीन हस्ताक्षर, अनुलग्नक-आई में दिए गए प्रपत्र के अनुसार विधिवत सत्यापित ।		f. Photograph and three signatures of self and wife, if any, duly attested as per proforma given in Annexure- I.
छ) पहचान का तथा आवासीय पते का प्रमाण ।		g. Identity proof and address proof.
6. आवंटन का तरीका		6. MODE OF ALLOTMENT
सभी पात्र आवेदकों के मामलों में बेतरतीब संख्या निर्दिष्ट तकनीक (रैंडम नम्बर टेक्नीक) पर कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से प्लैटों का आवंटन किया जाएगा । ड्रा, पर्यवेक्षकों के पैनल की उपस्थिति में निकाला जाएगा ।		All the eligible applicants shall be considered for allotment through a computerized draw based on random number technique. The draw shall be held in the presence of panel of observers.
7. आवंटन का परिणाम		7. RESULT OF ALLOTMENT
I. ड्रा का परिणाम विकास सदन, डी-ब्लॉक, आई.एन.ए., नई दिल्ली-23 स्थित दि.वि.प्रा. के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त दि.वि.प्रा. की वेबसाइट http://www.dda.org.in पर भी परिणाम देखे जा सकेंगे । परिणाम प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जाएंगे ।		I. The results of the draw shall be displayed on the Notice Board of DDA at Vikas Sadan, D-Block, INA, New Delhi-23. In addition the result shall be displayed on the website of DDA with the address http://www.dda.org.in . The result will also be published in the leading National Newspapers.
II. आवंटन एवं मांग-पत्र स्पीड पोस्ट / कोरियर / पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा, यदि आवेदक को उपर्युक्त साधनों के द्वारा भेजे जाने के बाद भी सूचना प्राप्त नहीं होती तो परिणाम का पता लगाने की जिम्मेदारी पूर्णतया		II. The allotment-cum-demand letters will be dispatched through Speed Post/Courier/Registered Post but it shall be the sole responsibility of the applicant to check the result of the draw if he/she does not get information despite the afore-mentioned means. In case applicant has given address of a

	<p>आवेदक की होगी। यदि आवेदक ने एक ऐसे स्थान / कार्यालय का पता दिया है, जहाँ प्रवेश (कूरियर को) प्रतिबंधित है, तो वापस की गई राशि / मॉगपत्र सहित भेजे गए सभी संचार कूरियर के असफल रहने पर उपलब्ध तरीके से भेजे जाएंगे। आवेदक को ऐसे मामलों में अनुलग्नक बी में दिए गए बैंक के नोडल अधिकारी से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है। ऐसे मामलों में आवेदक / आवंटि को संचार (पत्र आदि) देर से मिलने / नहीं मिलने के लिए दि.वि.प्रा. / बैंक उत्तरदायी नहीं होंगे।</p>	
III.	<p>प्राथमिकता के क्रम में 200 आवेदकों की एक अलग प्रतीक्षा सूची भी घोषित की जाएगी। यह प्रतीक्षा सूची मॉग पत्रों के जारी होने से केवल 9 माह तक वैध होगी। प्रतीक्षा सूची वाले पंजीकृतों के साथ असफल पंजीकृतों की पंजीकरण राशि वापस दे दी जाएगी। यद्यपि, ड्रा में जाने से पहले रिक्तियाँ भरने के लिए ऐसा होने पर ऐसे सभी पात्र प्रतीक्षा सूची वाले व्यक्तियों से पंजीकरण राशि जमा करने के लिए कहा जाएगा। उन्हें इसके लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा तथा जो ड्रा के पहले पंजीकरण राशि जमा कर देते हैं केवल उनका नाम शामिल किया जाएगा। पूर्व में तय की गई प्राथमिकता के अनुसार प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत व्यक्तियों को वापस किए गए फ्लैट आबंटित करने के लिए मॉग पत्र जारी करने की तिथि से 6 माह बाद केवल एक बाद ड्रॉ आयोजित किया जाएगा। मॉग पत्र जारी होने के 6 माह के अंदर वापस किए गए फ्लैट ही प्रतीक्षा सूची वाले पंजीकृतों को आबंटित करने के लिए शामिल किए जाएंगे। यह प्रतीक्षा सूची केवल इसलिए बनाई गई है कि वापस किए गए फ्लैट (यदि कोई हो), खाली रखने के बजाय उन्हीं पंजीकृतों को आबंटित किए जाएँ और यह सूची 9 माह तक वैध रहेगी, इसलिए यदि प्रतीक्षा सूची वाले पंजीकृत व्यक्ति वापस किए गए फ्लैटों में से एक फ्लैट पाने में असफल रहते हैं तो उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। यदि वे सफल रहते हैं तो इस फ्लैट का मूल्य मॉग एवं आबंटन पत्र की तिथि पर फ्लैट का मूल्य होगा।</p>	
9.	<p>आवंटन की स्थिति</p> <p>आवंटन फ्री-होल्ड आधार पर किया जाएगा। वैसे टाइटल तभी स्थानांतरित होगी जब कन्वीयेंस डीड दि.वि.प्रा. द्वारा आवंटि के नाम निष्पादित कर दी जाएगी और आवंटि उसको सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय से पंजीकृत कराने के उपरान्त प्राप्त कर लेगा।</p>	
10.	<p>पंजीकरण राशि पर ब्याज</p> <p>I. सफल आवेदकों के मामले में योजना बंद होने की अंतिम तिथि से तीन माह के अन्दर यदि ड्रा होता है, तो ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।</p> <p>II. असफल आवेदकों के मामले में योजना के बंद होने की अंतिम तिथि से तीन महीने के अन्दर यदि राशि वापस हो जाती है तो ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।</p> <p>III. असफल आवेदकों के मामले में योजना के बंद होने की तिथि से तीन माह के अन्दर पंजीकरण राशि वापस नहीं की जाती है तो पंजीकरण राशि पर योजना बंद होने के बाद, तीन महीनों के बाद की अवधि हेतु जिस माह में वापसी की गई है, उसमें पिछले माह की अंतिम तिथि तक 5% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।</p> <p>IV. आवेदक ड्रा होने के एक महीने बाद यदि अपना पैसा वापस प्राप्त नहीं करते तो वे उस बैंक की शाखा में सम्पर्क करें जहाँ उन्होंने आवेदन जमा किया था। दि.वि.प्रा. द्वारा दिए गए पते पर आवेदकों के उपलब्ध न होने या अपूर्ण पता होने के कारण हुई देरी पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं होगा।</p>	
11.	<p>असफल आवेदकों की आवेदन राशि की वापसी</p> <p>I. दि.वि.प्रा. की दी गयी पंजीकरण राशि संलग्नक 'ब' में दर्शाये गए नोडल बैंक द्वारा जहाँ आवेदक ने आवेदन जमा किया हो, द्वारा वापस की जाएगी।</p>	<p>place/office, where entry (of courier) is restricted, all communication including dispatch of refund cheque/ demand letter on failure of courier would be through available mode. Applicant is advised to contact nodal officer of the bank as given in Annexure B in such cases. DDA/Banks in such cases would not be responsible for delay/ non receipt of communication by applicant/allottee.</p> <p>III. A separate waiting list of 200 applicants will also be declared in order of priority. The waiting list will be valid only for 9 months from the date of issue of demand letters. The registration money of the wait listed registrants shall be refunded along with unsuccessful registrants. However, before going for the draw in case the same takes place for filling up the vacancies, all such eligible waitlisted shall be asked to deposit the registration money. 15 days time shall be given to them to do so and only those names shall be included who would be depositing their registration money prior to the draw. A draw will be held only once after six months, from date of issue of demand letters, for allotment of the surrendered flats to the wait listed registrants as per the priority decided initially. Only those flats which are surrendered within six months from date of issue of demand letters would be included for allotment to waitlisted registrants. The waiting list is created just to ensure that the surrendered flats (if any) are allotted to same registrants rather than keeping them vacant and the list will be valid only for 9 months, hence it doesn't create any right of the wait listed registrants if they fail to get a flat from the surrendered ones. If successful, the cost would be the cost of the flat on the date the demand cum-allotment letter is issued.</p> <p>9. STATUS OF ALLOTTEE</p> <p>All allotments shall be made on free hold basis. However, the title shall be transferred only when conveyance deed is executed in favour of the allottee and is registered in the office of Sub-Registrar.</p> <p>10. INTEREST ON REGISTRATION MONEY</p> <p>I. No interest will be paid if the draw is held within three months from the last date of closure of the scheme in case of successful applicants.</p> <p>II. In case of unsuccessful applicants, no interest will be paid, if the amount is refunded within three months from the last date of the closure of the scheme.</p> <p>III. In case registration money is not refunded within three months from the closure of the scheme, in case of unsuccessful applicants, simple interest @ 5% will be paid on the registration money for the period beyond three months after the closure of the scheme up to the last date of the preceding month in which refund has been made.</p> <p>IV. Applicants not getting refund within one month from holding the draw are advised to contact the nodal branch of the bank in which application was deposited. DDA will not pay any interest in case of postal delay or applicant not available at given address or in case of incomplete address.</p> <p>11. REFUND TO UNSUCCESSFUL APPLICANTS</p> <p>I. DDA will refund the registration money through the nodal</p>

- संबंधित बैंक, असफल आवेदकों को धन वापसी के बैंक भेजने के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें किसी भी प्रकार की हानि के मामले में जिम्मेदारी बैंक द्वारा ली जाएगी। दि.वि.प्रा. या बैंक, योजना के बन्द होने के एक साल के बाद राशि वापसी, हानि/ खण्डन, राशि वापसी, चेक के न भुनाने से संबंधित आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
- II. जमा राशि वापस प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने बैंक खाते का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। यदि आवेदन संयुक्त नाम में हो, वापसी केवल प्रथम आवेदक के नाम में की जाएगी और इसलिए केवल उसी का बैंक एकाउंट नम्बर दिया जाना चाहिए। एकाउंट नम्बर एवं बैंक के विवरण बैंक पर चिह्नित होंगे इसलिए आवेदक को ध्यानपूर्वक ये विवरण भरने होंगे।
- III. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्दी धनराशि वापस पाने के लिए बैंक के विकल्प पर यदि धनराशि ईसीएस के माध्यम से वापस ली जानी है तो जिस खाते में वे धनराशि जमा कराना चाहते हैं उसका एक रद्द बैंक सलग्न करें।
- IV. यदि आवेदक ने एक ऐसे स्थान/कार्यालय का पता दिया है, जहां प्रवेश (कूरियर का) प्रतिबंधित है, वहां धनराशि वापस करने के बैंक/मॉग पत्र भेजने सहित सभी संचार (पत्र आदि) कूरियर के असफल रहने पर उपलब्ध तरीके से भेजे जाएंगे। ऐसे मामलों में आवेदक को अनुलग्नक बी में दिए गए बैंक के नोडल अधिकारियों से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है। इन मामलों में आवेदक/आबंटी द्वारा पत्र प्राप्ति में देरी/प्राप्त नहीं होने के लिए दि.वि.प्रा./बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
12. **पलैट लौटाना/रद्द होना**
- I. सफल आवेदकों के पास कब्जे का पत्र जारी किये जाने से पूर्व पलैटों को लौटाने का विकल्प होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर भुगतान के न किये जाने की दशा में पलैट स्वतः रद्द हो जाएगा। इस उद्देश्य हेतु कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। दोनों मामलों में, जमा राशि बिना ब्याज के वापस की जाएगी। हालांकि, निर्धारित रद्द करण प्रसार निम्नानुसार वसूल किया जाएगा:
- | क्र. सं. | मॉग पत्र की तिथि निम्नलिखित दिनों के अंदर वापस लौटाना/रद्द करना | रुपए |
|----------|---|------------------------|
| 1. | मॉग पत्र जारी होने से पहले | शून्य |
| 2. | प्रथम दिन से | 29 वें दिन तक 1000/- |
| 3. | 30 वें दिन से | 59 वें दिन तक 5000/- |
| 4. | 60 वें दिन से | 89 वें दिन तक 20000/- |
| 5. | 90 वें दिन से | 119 वें दिन तक 40000/- |
| 6. | 120 वें दिन से | 149 वें दिन तक 60000/- |
| 7. | 150 वें दिन से | 179 वें दिन तक 80000/- |
| 8. | 180 वें दिन के बाद अर्थात स्वतः रद्द होने के बाद | 100000/- |
- II. पलैट लौटाने/रद्द करवाने के मामले में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हैं:
- क. आवंटित पलैट के संबंध में दि.वि.प्रा. द्वारा जारी किया गया मूल आवंटन एवं मांग-पत्र
- ख. आवेदन-पत्र में दिए गए पते में परिवर्तन होने की दशा में आवास का प्रमाण
- ग. आवेदन-पत्र में दिए गए बैंक विवरणों में परिवर्तन होने की दशा में पास बुक अथवा बैंक मैनेजर/प्रमारी के प्रमाण-पत्र की फोटो कॉपी।
- branch, as indicated in Annexre 'B', of the Bank wherein the allottee had deposited the application form. The concerned Bank shall be responsible for the despatch of refund cheques to the unsuccessful applicants. The bank shall bear the responsibility for any loss on this account. DDA or the bank will not entertain any application for refund, loss/mutilation, non-encashment of refund cheque one year after the closure of the scheme.
- II. For getting refund, the applicant has to clearly mention his/her bank account number. In case the application is in joint name, refund will be made in the name of the first applicant only and ,therefore, only his/her bank account number should be given. This account number and bank particulars will be printed on cheque, hence applicant should carefully fill these particulars in the Form.
- III. Applicant is advised to enclose one cancelled cheque of the account in which he wants refund money to be credited, in case refund is given through ECS, at the option of the bank, for faster refund.
- IV. In case applicant has given address of a place/office, where entry (of courier) is restricted, all communication including dispatch of refund cheque/demand letter would on failure of courier be through available mode. Applicant is advised to contact nodal officer of the bank as given in Annexure B in such cases. DDA/Banks in such cases would not be responsible for delay/ non receipt of communication by applicant/allottee.
12. **SURRENDER/CANCELLATION**
- I. The successful applicants shall have the options to surrender the flats before the issue of the possession letter. Flat will be automatically cancelled in case payments are not made within the prescribed period. No show cause notice shall be issued for the purpose. In both the cases, amount deposited is refundable without any interest. However, cancellation charges as prescribed below shall be recovered :
- | S. No. | Surrender/Cancellation within following days From the date of demand letter | Rupees |
|--------|---|----------|
| 1. | Before issue of demand letter | nil |
| 2. | 1 st day upto 29 th day | 1000/- |
| 3. | 30 th day 59 th day | 5000/- |
| 4. | 60 th day 89 th day | 20000/- |
| 5. | 90 th day 119 th day | 40000/- |
| 6. | 120 th day 149 th day | 60000/- |
| 7. | 150 th day 179 th day | 80000/- |
| 8. | 180 th day onwards i.e. date of automatic cancellation | 100000/- |
- II. Following documents are to be submitted for refund in case of Surrender/Cancellation:
- a. Original allotment-cum-demand letter issued by DDA in respect of allotted flat.
- b. Proof of residence in case there is change of address as given in the application form.

घ.	नोट : फ्लैट के स्वयं रद्द होने की स्थिति में जैसा कि उक्त में दिया गया है, राशि की वापसी रद्द करने के प्रभार की कटौती के बाद की जाएगी और जमा की गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, जैसा ऊपर बताया गया है।	c.	Photocopy of passbook or bank manager's/ in charge certificate in case there is change in bank particulars from as given in the application form.
13.	फ्लैटों की अनुमानित लागत	d.	Note : In case flat is cancelled automatically as stated above, Refund will be made after deduction of cancellation charges as stated above and no interest would be paid on amount deposited.
क.	फ्लैटों की अनुमानित लागत संलग्नक 'अ' में दी गयी है, यदि फ्लैट दक्षिण दिल्ली में है तो उपरोक्त लागत में भूमि प्रीमियम, निर्माण व्यय तथा 20% सरचार्ज शामिल है। निर्माण व्यय में, विभागीय व्यय तथा निर्माणवधि तक का ब्याज शामिल है भूमि प्रीमियम हर वर्ष एक अप्रैल को जबकि निर्माण व्यय वर्ष में दो बाद एक अक्टूबर तथा एक अप्रैल को संशोधित किया जाता है। लागत में भिन्नता श्रेणी के भीतर फ्लैटों के सर्वत क्षेत्र में भिन्नता के कारण है। कुछ अन्य फ्लैटों को जोड़ा अथवा कम किया जा सकता है। (दिल्ली विकास प्राधिकरण के विवेकाधीन) यदि क्षेत्र में बदलाव होता है, तो नवीन जोड़े गये फ्लैटों की लागत तदनुसार बदलेगी।	13.	DISPOSAL COST OF THE FLATS The tentative cost of the flats is given in annexure 'A'. The above cost includes land premium and cost of construction and 20% surcharge on "land premium and cost of construction" in case of flats situated in South Delhi. Cost of construction includes departmental charges and interest during construction period. The land premium is normally revised every year on first April while cost of construction is revised twice during the year on every 1st Oct. and 1st April. The variation in cost within category is due to variation in plinth area of the flats. There may be some more flats added or deleted (at the discretion of DDA). If the area changes, the cost of newly added flats will change accordingly.
ख.	उपर्युक्त के अतिरिक्त, आवंटी को फ्री होल्ड प्रभार देने की जिम्मेदारी है। वर्तमान अस्थायी फ्री होल्ड प्रभार संलग्नक 'अ' में दिए गए हैं। यदि दरें आगे संशोधित होती हैं तो लागू दरों को आवंटी द्वारा देना होगा।	a)	In addition to above, allottee is liable to pay Free hold charges. Present provisional, free hold charges are given in annexure 'A', if these rates are revised upward, difference will be claimed from the allottee.
14.	भुगतान का तरीका फ्लैटों का आवंटन केवल नकद खरीद आधार पर होगा।	14.	MODE OF PAYMENT The allotment of flats shall be made on Cash Down basis only.
15.	भुगतान की अवधि आवंटी को मांग-पत्र जारी किये जाने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर बिना ब्याज के भुगतान करना होगा। उसके बाद आवंटी को यह राशि 15% वार्षिक की दर से 31 मार्च को संगणित वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज सहित अगले 90 दिनों के अन्दर जमा करानी होगी। यदि भुगतान मांग-पत्र की तिथि से 180 दिनों के अन्दर नहीं किया जाता, तो फ्लैट्स का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण से पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई 'कारण बताओ नोटिस' नहीं दिया जाएगा। इस योजना में ऑटोमैटिक निरस्तीकरण के बाद भुगतान के लिए समय में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। एक बार भुगतान न करने पर फ्लैट रद्द हो जाता है तो उसके बाद कोई भी रैस्टोरेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवंटी अगर मांगी गयी रकम की अदायगी 180 दिनों अर्थात ऑटोमैटिक रद्दकरण की सीमा में जमा की गई राशि बिना किसी ब्याज के निरस्तीकरण व्ययों की कमी करके वापिस कर दी जाएगी, जैसा पैरा 12 में उल्लेख किया गया है।	15.	PERIOD FOR PAYMENT Allottee is liable to make the payment within 90 days from the date of issue of demand letter without interest. Thereafter, the allottee is liable to deposit the amount in not more than next 90 days along with interest @ 15% p.a. compounded as on 31st March. If the payment is not made within 180 days, including interest, from the date of demand letter, allotment of the flat will be automatically cancelled. No show cause notice/intimation will be given by the DDA for cancellation. No time extension for payment beyond the date of automatic cancellation would be given in this scheme. Also no restoration is allowed once the flat is automatically cancelled due to non payment. If the allottee fails to deposit the demanded amount within 180 days i.e. date of automatic cancellation, the amount deposited will be refunded without interest and after deduction of cancellation charges as mentioned in para 12.
टिप्पणी : सभी आवंटियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सचेत किया जाता है कि ब्याज सहित पूरी राशि, यदि कोई है, ऑटोमैटिक रद्दकरण की तिथि से पहले जमा कर दी जाए।		Note : All allottees are cautioned to ensure that full amount including interest, if any, is deposited before date of automatic cancellation.	
16.	आवंटन के बाद आरम्भिक मांग राशि का तरीका भुगतान "डीडीए हाउसिंग" के पक्ष में दिल्ली/नई दिल्ली में देय किसी भी बैंक के बैंकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्ट द्वारा करना होगा। बैंक द्वारा भुगतान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। डिमांड ड्राफ्ट आवंटन के क्षेत्र के अनुसार निम्नलिखित बैंकों में प्रस्तुत करना होगा :	16.	METHOD OF PAYMENT OF DEMANDED AMOUNT The payment of amount will have to be made by a Banker's Cheque/Demand Draft of any bank drawn in favour of "DDA Housing" payable at Delhi/New Delhi. Payment by cheque will not be accepted. This Banker's Cheque/Demand Draft has to be presented at the following banks depending on the area of the allotment

क्र. सं.	क्षेत्र	बैंक का नाम	भाखा	सम्पर्क करें
1.	रोहिणी और दक्षिण दिल्ली	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	के. जी. मार्ग, रोहिणी, वसंत कुंज	हेल्प डेस्क फोन: 011-41699418 41699406
2.	अन्य क्षेत्र	यूटीआई बैंक लिमिटेड	दिल्ली / नई दिल्ली की सभी शाखाएँ	श्री सुधांशु गर्ग फोन : 011-29230490

S. No.	Area	Name of the bank	Branches	Contact persons
1.	Rohini & South Delhi	HDFC Bank Ltd.	KG Marg, Rohini, Vasant Kunj	Help Desk, Ph: 011-41699418, 41699406
2.	Other areas	UTI Bank Ltd.	All Branches in Delhi/ New Delhi.	Sh Sudhanshu Garg Ph: 011-29230490

- 17. बंधक रखने / ऋण लेने की सुविधा**
आवंटी दिल्ली विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति लिए बिना मकान को निम्नलिखित संस्थाओं के पास बंधक रखकर आवास ऋण की सुविधा का लाभ उठा सकता है। हालांकि, जिस संस्था के पास प्लैट बंधक रखा गया है, उसके संबंध में जानकारी सम्बंधित उप निदेशक (आवास) दि.वि.प्रा. को अवश्य भेजी जानी चाहिए।
- i. भारत सरकार;
 - ii. राज्य सरकार;
 - iii. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन;
 - iv. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्तशासी निकाय;
 - v. राष्ट्रीयकृत बैंक;
 - vi. भारतीय जीवन बीमा निगम;
 - vii. भारतीय साधारण बीमा निगम;
 - viii. आवास विकास वित्त निगम (एच.डी.एफ.सी.);
 - ix. सहकारी बैंक;
 - x. दिल्ली नगर निगम;
 - xi. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद;
 - xii. संयुक्त क्षेत्र की सभी कम्पनियां मले ही शेयर धारिता की प्रतिशतता कितनी भी हो।
 - xiii. दिल्ली विश्वविद्यालय;
 - xiv. सभी निजी अथवा सार्वजनिक संगठन जिन्हें भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा बंधक रखने हेतु अनुमोदन प्राप्त हो एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवास वित्त कम्पनी के रूप में मान्यता प्राप्त हो।
 - xv. भवन निर्माण के लिए व्यक्तियों को ऋण देने वाली समस्त वित्तीय संस्थाएँ, यदि वे पांच करोड़ रु. अथवा समान पूंजीगत आधार सहित अच्छी बाजार साख और प्रतिष्ठा वाली प्रमुख कम्पनियां हों।
 - xvi. समस्त वित्तीय संस्थाएँ / बैंक जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार द्वारा नियमित किया जाता हो भले ही सरकार की अंशधारिता कितनी भी हो।
 - xvii. समस्त सार्वजनिक कम्पनियां जिनका पूंजीगत आधार 5 करोड़ रुपये हो, बशर्ते कि उनके यहां अपने कर्मचारियों को भवन निर्माण भत्ता प्रदान करने की योजना हो और ऐसी अग्रिम राशि प्रदान करने के लिए बंधक रखना अपेक्षित हो, उदहारण के लिए हडको।
- 18. प्लैटों का कब्जा**
- i. आवंटी कब्जा लेने का हकदार केवल तभी होगा / होगी, जब कि उसने सभी औपचारिकताएँ पूरी कर दी हो, सभी दाय राशियों का भुगतान कर

- 17. MORTGAGE/AVAILING LOAN**
The allottee can avail housing loan by mortgaging the house to following institutions without prior approval of the DDA. However, an intimation regarding institution to which flat has been mortgaged must be sent to concerned Dy. Director (Housing), DDA.
- i. Government of India;
 - ii. State Governments;
 - iii. Union Territory Administration;
 - iv. Public Sector Undertakings/Autonomous bodies;
 - v. Nationalized banks;
 - vi. Life Insurance Corporation of India;
 - vii. General Insurance Corporation of India;
 - viii. Housing Development Finance Corporation;
 - ix. Cooperative banks;
 - x. MCD;
 - xi. NDMC;
 - xii. All Joint Sector companies, irrespective of the percentage of share holding;
 - xiii. University of Delhi;
 - xiv. All organizations, private or public, which receive the approval of Govt. of India, State Govt. for the purpose of general mortgage permission and are recognized by RBI as a Housing Finance Company;
 - xv. All Financial Institutions extending loans to individuals for house building, if they are leading companies with good market standing and repute say with a capital base of Rs. five crores or so.
 - xvi. All Financial Institutions/Banks which are controlled by RBI or the Govt. of India irrespective of the percentage of Govt. share holding.
 - xvii. All public companies with a capital base of Rs. 5 crores provided they have a scheme for granting HBA to their employees and the mortgage is required for grant of such advances e.g. HUDCO.
- 18. POSSESSION OF FLATS**
- i. The allottees shall be entitled to take delivery of possession only after he/she has completed all the formalities, paid all dues and furnished/executed all the documents as required in the demand cum allotment letter or the Delhi Development Authority (Management & Disposal of Housing Estate) Regulations, 1968.

	दिया हो और मांग एवं आवंटन—पत्र अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबंध एवं निपटान) विनियम 1968 में यथा—अपेक्षित सभी दस्तावेज प्रस्तुत / निष्पादित कर दिये हों।	
ii.	यदि आवंटी कब्जा—पत्र जारी होने की तिथि से 3 माह के अन्दर फ्लैट का कब्जा नहीं लेता है, तो उसे कब्जा—पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक के लिए निर्धारित दर पर निगरानी एवं देखभाल प्रभारों का भुगतान करना होगा। वर्तमान में निगरानी एवं देखभाल प्रभार तीन शयन कक्ष फ्लैट्स हेतु रु. 1250/- प्रतिमाह तथा दो शयन कक्ष फ्लैट्स एवं विस्तार होने योग्य आवासों हेतु रु. 1000/- प्रतिमाह है।	ii. If the allottee does not take possession of the flat with in 3 months from the date of issue of possession letter, he/she shall be liable to pay watch and ward charges at the prescribed rates beyond a period of 3 months from the date of issue of possession letter up to a maximum period of one year from the date of issue of possession letter. At present watch & ward charges are Rs 1250/- per month for three bed room flats and Rs 1000/- per month for two bed room flats & expendable houses.
iii.	यदि वास्तविक कब्जा नहीं लिया जाता है तो आवंटन स्वतः रद्द हो जाएगा। रद्दकरण से पहले कोई 'कारण बताओ' नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। तदापि, असाधारण मामलों में वास्तविक कब्जा 12 महीनों से 24 महीनों तक उक्तलिखित प्रभार के अतिरिक्त निर्धारित रेस्टोरेशन / रद्दकरण प्रभार की अदायगी पर दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए दि.वि.प्रा. की पहले अनुमति लेनी होगी। फ्लैट की लागत हेतु जमा की गई राशि पैनाल्टी काट कर रद्दकरण के मामले में देय होगी।	iii. If the physical possession is still not taken over then the allotment shall be automatically cancelled. No show cause notice shall be served before cancellation. However, in exceptional cases the physical possession can be given beyond 12 months and up to 24 months on payment of said charges in addition to prescribed restoration/ cancellation charges provided prior permission of DDA is obtained. Any amount deposited towards the cost of the flat shall be refundable without interest in such a case of cancellation after deduction of penalties.
iv.	सम्पत्ति "जहां है जैसा है" के आधार पर दी जा रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण उपर्युक्त संदर्भित विनियम के पैरा 19 में परिभाषित को छोड़कर किसी प्रकार के परिकर्षन या परिवर्तन के लिए अनुरोध अथवा किसी प्रकार की शिकायत, बाहे वह सम्पत्ति की परिस्थितियों के सम्बन्ध में हो, अथवा फ्लैट की लागत, उसके डिजाइन, प्रयोग में लाई गई सामग्री की गुणवत्ता, कारीगरी या अन्य किसी दोष से संबंधित हो, को स्वीकार नहीं करेगा।	iv. The property is being offered on "as is where is basis". The DDA will not entertain any request for additions or alterations or any complaints, whatsoever regarding Property Circumstances except as defined in para 19 of the Regulation referred to above or about cost of flats, its design, the quality of material used, workmanship or any other defect.
19.	हस्तांतरण अधिपत्र का निष्पादन मांग—पत्र के साथ डीडीए द्वारा हस्तांतरण डीड (फ्री-होल्ड डीड) कागजात जारी किए जाएंगे। कब्जा पत्र के जारी करने से पहले कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, दिल्ली सरकार से स्टम्पित कराने के पश्चात् डीडीए के पास जमा करा दें। स्टैम्प ब्यूटी और अन्य खर्च आवंटी को अदा करने होंगे। आवंटी हस्तांतरण अधिपत्र का निष्पादन पूर्ण या आंशिक रूप से, हस्तांतरित नहीं कर सकते। यदि प्राधिकरण की लिखित में पूर्व अनुमति लिए बिना ही विक्रय / हस्तांतरण कर दिया जाता है, तो इस प्रकार का विक्रय / हस्तांतरण प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं होगा और प्राधिकरण आवंटन रद्द करने और फ्लैट का पुनः कब्जा लेने का हकदार होगा।	19. EXECUTION OF CONVEYANCE DEED Conveyance deed (Free Hold Deed) paper will be issued by the DDA along with the demand cum allotment letter. These are required to be stamped from the Collector of stamps, Govt. of NCT of Delhi and submitted to DDA before the possession letter is issued. Stamp duty and other expenses in this regard shall be borne by the allottees. Allottee shall not be entitled to transfer or otherwise part with the possession of the whole or any part of the flat without execution of conveyance deed. Provided that in the event of sale/transfer being made without execution of conveyance deed, such sale/transfer shall not be recognized by the Authority and it shall be open to the Authority to cancel the allotment and resume the flat.
20.	दुरुपयोग, परिकर्षन और परिवर्तन आदि फ्लैट का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए किया जाएगा और इसका उपयोग अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। आवंटी दिल्ली विकास प्राधिकरण से पूर्व में लिखित अनुमति लिए बिना आवासीय इकाई को उप-विभाजित करने अथवा इस इकाई को किसी अन्य आवासीय इकाई के साथ मिलाने अथवा फ्लैट के ढांचे में कोई परिकर्षन / परिवर्तन करने का हकदार नहीं होगा।	20. MISUSE, ADDITIONS AND ALTERATIONS, ETC. The flat shall be used only for residential purpose and cannot be put to other use. The allottee shall not be entitled to sub-divide the dwelling unit or amalgamate it with any other dwelling unit or to make any structural additions/alterations without prior written permission of DDA.
21.	सामूहिक भाग और सामूहिक सेवाओं आदि के रखरखाव का उत्तरदायित्व प्रत्येक सफल आवेदक को फ्लैट का कब्जा सौंपे जाने से पहले विधि के प्रावधान के अनुसार एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स का सदस्य बनना अपेक्षित है। ये संस्थाये इन आवासीय पॉकेटों में सामूहिक भागों और सामूहिक सेवाओं के रखरखाव के उद्देश्य से बनायी जाएंगी।	21. RESPONSIBILITY FOR THE MAINTENANCE OF COMMON PORTIONS AND COMMON SERVICES ETC. Every successful applicant is required to become a member of the Registered Agency/Association of Apartment Owners to be formed for the purpose of maintenance of common portions and common services for these housing pockets, in accordance with the provision of the law in this behalf before the possession of the flat is handed over to him/her.
22.	मिथ्या—कथन अथवा तथ्यों को छिपाना यदि यह पाया गया कि आवेदक को इस विवरणिका के पैरा 2 में बताई गई	22. MIS-REPRESENTATION OR SUPPRESSION OF FACTS: If it is found that the applicant has applied although he was

<p>शर्तों के अनुसार पात्रता नहीं है या गलत दस्तावेजों के आधार पर आरक्षण का दावा किया है या एक से अधिक आवेदन जमा किए हैं, जैसा पैरा 2 (iv और v) में दिया गया है अथवा गलत पैन बताने के साथ झूठा शपथपत्र/सूचना दी है अथवा आवेदन के या हस्तांतरण डीड के निष्पादन के समय या कब्जा लेते समय किसी बात को दबाया-छुपाया है तो इसके लिए बिना किसी कारण बताओ नोटिस के आवेदन/आवंटन स्वतः रद्द/निरस्त हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण के मामले में आवेदन/आवंटन के लिए जमा की गई पूरी राशि को जब्त कर लिया जाएगा।</p>	
<p>23. अन्य सामान्य शर्तें</p>	
<p>क) दिल्ली विकास प्राधिकरण को, जब कभी वह आवश्यक समझे, अपने विवेक से योजना के किसी निबंधन एवं शर्त/खण्ड में परिवर्तन करने का अधिकार है।</p>	
<p>ख) दि.वि.प्रा. को योजना में प्रस्तावित फ्लैटों की संख्या घटाने अथवा बढ़ाने का अधिकार होगा। दि.वि.प्रा. को परिस्थितियों के अनुसार कुछ फ्लैटों/समी फ्लैटों को वापस लेने का अधिकार होगा।</p>	
<p>ग) इस योजना के अंतर्गत आवंटन इस ब्रोशर, मांग एवं आवंटन पत्र और दि.वि.प्रा. (आवासीय सम्पदा का प्रबंध एवं निपटान) विनियम, 1968 के निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत होगा।</p>	
<p>घ) दि.वि.प्रा. (आवासीय सम्पदा का प्रबंध एवं निपटान) विनियम, 1968 की विनियम सं. 17 में निहित प्राक्धान के अनुसार सभी दरें, शुल्क, टैक्स प्रभार, म्युनिसिपल कर का निर्धारण अथवा अन्य और अन्य प्रकार की लेवी, जो भी हो, आवंटि अथवा पंजीकृत एजेंसी/अपार्टमेंट स्वामी को एसोसिएशन, जैसा भी मामला हो, को वहन करने होंगे और आवंटि अथवा पंजीकृत एजेंसी की अपार्टमेंट स्वामी की एसोसिएशन द्वारा देय होगा।</p>	
<p>ङ) किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में मामले का निपटारा केवल दिल्ली न्यायालयों में ही होगा।</p>	
<p>च) दि.वि.प्रा. के साथ आवंटन संबंध में सभी पत्राचार में, आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे अपने पत्र में आवेदन पत्र सं. और फाइल सं. आदि लिखें और ऐसे पत्र संबंधित उप-निदेशक, दि.वि.प्रा., डी-ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को संबोधित करें।</p>	
<p>छ) यदि कोई शिकायत है तो आवेदक सार्वजनिक सुनवाई के दिन निदेशक (आवास)-II, आयुक्त (आवास) अथवा उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. से संपर्क कर सकते हैं। तथापि, वित्तीय मामलों के संबंध में आवेदक को सलाह दी जाती है कि पहले वह वित्त सलाहकार (आवास) डी-ब्लॉक, प्रथम तल, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 से सम्पर्क करें।</p>	
<p>ज) फार्म स्वीकार करते समय आवेदक की पात्रता की जांच करना संभव नहीं है। अतः जो व्यक्ति पात्र नहीं हैं, वे अपने जोखिम पर पंजीकरण करवाएंगे। यदि बाद में पता चलता है कि योजना के अंतर्गत वे पात्र नहीं हैं तो वे फ्लैट आवंटन के हकदार नहीं होंगे।</p>	
<p>झ) आवेदक को अपना स्थायी खाता संख्या/जी.आई.आर. सं. और आई.टी. सर्किल/वार्ड/जिला लिखना चाहिए। इस सूचना के बिना आवेदन पत्र अधूरा समझा जाएगा और इसे रद्द किया जा सकता है।</p>	<p>not eligible as per conditions laid down in para 2 of this brochure or has claimed benefit of reservation on the basis of wrong documents or has submitted more than one application as given in para 2(IV & V) or has given false affidavit/ information including quoting wrong PAN number or suppressed any material fact whether at the time of application or at the time of taking over possession or at the time of execution of conveyance deed, the application(s)/ allotment(s) will be rejected/cancelled summarily without issuing any show cause notice for the same. In case of such cancellation, entire amount deposited against application(s)/ allotment(s) shall be forfeited</p> <p>23. OTHER GENERAL CONDITIONS</p> <p>A. DDA reserves the right to alter any term and condition/ clause of the scheme at its discretion as and when considered necessary.</p> <p>B. DDA reserves the right to increase or decrease the number of flats on offer in the scheme. DDA also reserves the right to withdraw some/all flats depending on the circumstances.</p> <p>C. The allotment under the scheme shall be on the terms and conditions contained in this brochure, demand cum allotment letter and the DDA (Management & Disposal of Housing Estate) Regulations, 1968.</p> <p>D. As per provisions contained in Regulations No. 17 of DDA (Management & Disposal of Housing Estate) Regulations, 1968, all rates, fees, taxes, charges, assessment of municipal or otherwise and other levies of whatsoever nature shall be borne by the allottee or the Registered Agency/ Association of Apartment Owners' as the case may be and shall be payable by the allottee or Association of Apartment Owners'/Registered Agency within the period specified in this behalf.</p> <p>E. Any dispute shall be subject to the jurisdiction of Delhi Courts only.</p> <p>F. In all the correspondence within DDA regarding allotment etc., the applicants are advised to quote their application form no. and the file no. etc. and such correspondence be addressed to Dy. Director concerned, D-Block, Vikas Sadan, DDA, New Delhi-110023.</p> <p>G. In case of any grievance, the applicant can contact Director (H)-I/ Director (H)-II, Commissioner (H) or the Vice-Chairman, DDA during their public hearing days. However, on financial issues the applicant is advised to first contact Financial Adviser (Housing), D-Block, 1st floor, Vikas Sadan, New Delhi-110023.</p> <p>H. It is not possible to check the eligibility of applicant at the time of acceptance of the form. Therefore, those who are not eligible would register their name at their own risk and would not be entitled for allotment of flats if at a later stage it is detected that they are not eligible under the scheme.</p> <p>I. The applicant should mention his/her PAN/GIR No. and I.T Circle/Ward/District The application form without this information shall be considered incomplete and is liable to be rejected.</p>